2020/00014

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड		श्री पूनम चंद पुत्र श्री कालीदास गरासिया निवासी तलेटी तहसील आबूरोड

किस्म मुकदमा– राजस्व निगरानी अंतर्गत नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

मुकदमा नं. 1 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
17.02.2020	प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्व निगरानी अंतर्गत नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 ग्राम तलेटी पटवार हल्का जाम्बुडी तहसील आबूरोड खसरा नम्बर 132 व 133 भू प्रबंधन के समय रकबा 2.17 व 1.14 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरी वन विभाग के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। जिसका नियमन अप्रार्थी को किया गया था को नियम विरूद्ध होने से निरस्त करने हेतु पेश किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थी को दिनांक 24.11.1978 को दर्ज की गई थी । किसी व्यक्ति की खातेदारी अंतर्गत नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत खारिज नही की जा सकती है। प्रार्थी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेंस प्रस्तुत करे। निर्णय सुनाया गया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर नम्बर से कम हो। (सुरेन्द्र कुमार सोलंकी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner